संख्या: 01/2018/156 कृ0मं0/12-2-2017-99/2017

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था,
राजकीय उद्यान परिसर, आलमबाग, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 03 जनवरी, 2018**

विषय: **वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की गयी संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: 8338 दिनांक 22 मार्च, 2017 तथा पत्र संख्या: 2589 दिनांक 15 जुलाई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के स्वशासी संस्थाओं के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कतिपय संशोधन के उपरान्त संकल्प संख्या-64/2016-वे0आ0-2-2645/दस-04(एम)/2016 दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2. उक्त शासकीय संकल्प दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को वर्तमान वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन की लागू व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2016 से अथवा संबंधित कार्मिक के विकल्प की तिथि से संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अनुमन्य किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के उपरान्त उस पर आने वाला समस्त वित्तीय भार संस्था अपने स्रोतों से वहन करेगी और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से किसी प्रकार के वित्तीय अनुदान अथवा वित्तीय सहायता देय नहीं होगी।

3. उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण, मंहगाई भत्ता एवं अन्य लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2018 से नकद भुगतान किया जायेगा तथा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक के देय अवशेष का भुगतान राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय के अनुसार किया जायेगा।

4. राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अधिष्ठान के कर्मचारी/अधिकारी जो संस्था में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, उन्हे वेतन मैट्रिक्स का लाभ अपने मूल विभाग/अधिष्ठान के पद के संदर्भ में लागू निर्णय के अनुसार अनुमन्य होगा।

5. पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उक्त संस्था के कार्मिकों का वेतन निर्धारण राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या: 67/2016-वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

6. उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन वृद्धि, मंहगाई भत्ता, मकान किराया, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता राज्य कर्मचारियों की भॉति समय-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा।

7. उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के कार्मिकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था में 10 वर्ष, 16 वर्ष व 26 वर्ष की सेवा पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने की वर्तमान व्यवस्था को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस प्रतिबंध के अधीन बनाये रखा जाय कि इसकी अनुमन्यता हेतु वर्तमान में प्रभावी "सन्तोषजनक सेवाओं" के मापदण्ड के स्थान पर संशोधित माप दण्ड "बहुत अच्छा" (Very Good) शासनादेश संख्या: 65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 के जारी होने की तिथि से निर्धारित माना जायेगा, शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

8. उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के कार्यकुशल एवं अच्छे कर्मचारियों के मनोबल को प्रोत्साहित करने तथा ऐसे कार्मिक, जो अपने दायित्वों के निर्वहन में पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी रूचि नहीं लेते हैं, उनकी इस मानसिकता को हतोत्साहित करने के उददेश्य से ऐसे कार्मिको, जो प्रथम 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक ए0सी0पी0 अथवा नियमित पदोन्नति के निर्धारित मापदण्ड को पूरी नहीं करते हैं, उन्हे आगे वार्षिक वेतन वृद्धियॉ स्वीकृत करने के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों की भॉति स्वीकृत की जायेगी।

9. ऐसे पद/संवर्ग, जिनके वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 01 जनवरी, 2016 के बाद एवं इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि तक हुआ है, के पदधारकों को यह विकल्प होगा कि वह या तो दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन का चयन करें अथवा उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के दिनांक से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेने का चयन कर लें।

10. उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के कार्मिकों को राजकीय कार्मिकों से इतर कोई सुविधा अनुमन्य है तो उसका पुनरीक्षण राज्य सरकार की सहमति उपरान्त किया जायेगा।

11. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या: ई-1-468/दस-2017 दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 01/2018/156 कृ0मं0 (1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
3. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या:01/2018/156 कृ0मं0/12-2-2017-99/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2018 का

संलग्नक

पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स

वेतन बैण्ड	5200-20200					9300-34800			
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800

15600-39100			37400-67000			67000-79000		
5400	6600	7600	8700	8900	10000			
10	11	12	13	13 क	14	15	16	17
56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	205400	225000
57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	211600	
59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	217900	
61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	22400	
63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100		
65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300		
67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600		
69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100		
71100	85800	99800	150200	166100	182700			
73200	88400	102800	154700	171100	188200			
75400	91100	105900	159300	176200	193800			
77700	93800	109100	164100	181500	199600			
80000	96600	112400	169000	186900	205600			
82400	99500	115800	174100	192500	211800			
84900	102500	119300	179300	198300	218200			
87400	105600	122900	184700	204200				
90000	108800	126600	190200	210300				
92700	112100	130400	195900	216600				
95500	115500	134300	201800					
98400	119000	138300	207900					
101400	122600	142400	214100					
104400	126300	146700						
107500	130100	151100	110700	134000	155600			
110700	134000	155600						
114000	138000	160300						
117400	142100	165100						
120900	146400	170100						
124500	150800	175200						
128200	155300	180500						
132000	160000	185900						

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

136000	**164800**	**191500**						
140100	**169700**	**197200**						
144300	**174800**	**203100**						
148600	**180000**	**209200**						
153100	**185400**							
157700	**191000**							
162400	**196700**							
167300	**202600**							
172300	**208700**							
177500								

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।